December 5, 2017

Asst. Vice President, Listing Deptt.
National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza, Plot C/1, G Block
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E),
MUMBAI - 400 051
Scrip Code: HEROMOTOCO

The Secretary,
BSE Limited
25th Floor,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
MUMBAI - 400 001
Scrip Code: 500182

Re.: Disclosure under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Sub: Submission of newspaper advertisement

Dear Sirs,

Please find enclosed herewith the copy of the newspaper advertisement published regarding the request for issue of the new share certificates in lieu of the original share certificates that are reported to be lost and not traceable.

This is submitted for your information and records.

For Hero MotoCorp Ltd.

(Neerja Sharma)
Company Secretary

Encl.: as above

U-17 WORLD CUP INDIA 2017
NATIONAL SUPPORTER

Scope of work as detailed in tender document.
The tender document consisting of eligibility criteria, scope of work and other details alongwith other necessary documents are available at DDA's website **www.dda.org.in** and at CPP portal of NIC at URL **http://eprocure.gov.in/eprocure/app**
Various important dates are as follows:

ACTIVITY	DATE	TIME
Document download start:-	05.12.2017	3:30 PM
Pre-bid meeting & presentation by DDA: (Systems Department, B-block, 1st floor, Vikas Sadan, INA, New Delhi-110023)	20.12.2017	11.00 AM
Document download ends:-	27.12.2017	3:30 PM
Submission of Technical & Financial Bids ends:-	27.12.2017	3:30 PM
Technical Bid opening:-	28.12.2017	3:30 PM

For any clarification may contact at Ph. 011 24694157 or 0120-4200462, 0120-4001002, 0120-4001005

Please give your feedback on DDA Apps at Google play
Please visit DDA's website: www.dda.org.in or Dial Toll free No. 1800110332

Hero MotoCorp Ltd.

Regd. Office: 34, Community Centre, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi - 110057
CIN: L35911DL1984PLC017354, Phone: 011-46044100, Fax: 011-26143321
E-mail: secretarialho@heromotocorp.com, Website: www.heromotocorp.com

Public Notice for Issue of Duplicate Share Certificates

Members of the general public and existing shareholders of Hero MotoCorp Ltd. ('Company') are hereby informed that the original Share Certificates, details of which are given hereunder have been reported lost/misplaced/stolen/not received and that pursuant to requests received from concerned shareholders, the Company intends to issue duplicate Share Certificates in lieu of the said original Shares Certificates in their favour:

Sr. No.	Folio No.	Shareholder's Name	Distinctive Nos. From	Distinctive Nos. To	Certificate No.(s)	No. of Shares
Shares of Face Value of Rs. 10/- each						
1	HML0033946	RANJIT R JATAR	16092933	16092944	213299-213300	12
Shares of Face Value of Rs. 2/- each						
2	HML0071835	LAXMIDAS BHAGY-ODAY(Deceased) HASMUKHLAL THAKRAR (Deceased)	46745731 165960506	46745980 165960875	512267 525547	250 370
3	HML0039488	HANUMANDAS SARDA VISHANDAS SARDA.	45167536	45167785	509058	250

Any person having objections to the issue of duplicate Share Certificates, as mentioned herein above, may submit the same, in writing, with the Company marked to the 'Secretarial Department' at its Registered Office within 15 days from the date of publication of this Notice. In the meanwhile, members of the public are hereby cautioned against dealing in the above mentioned Share Certificates.

For Hero MotoCorp Ltd.
Sd/-
Neerja Sharma
Company Secretary

Place : New Delhi
Date : 04.12.2017

NewDelhi

ानिकों के हाथों पूरी
दिवस पर मैं समस्त
ा नौसैनिकों का

—— राधामोहन सिंह, केंद्रीय कृषि मंत्री

देश का हर नागरिक राष्ट्रधर्म के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना शुरू कर दे तो देश से आतंकवाद, नक्सलवाद और अलगाववाद का खात्मा हो सकता है।

—— योगी आदित्यनाथ, सीएम, उप्र

नई दिल्ली। मंगलवार • 5 दिसम्बर • 2017

राष्ट्रीय सहारा | www.rashtriyasahara.com

...निकार...

...ांतिपूर्ण होने चाहिए। ...रीवाल को पार्टी की ...नहीं तो माना जायेगा ... ही कुमार विश्वास ... रहे हैं। अनुसूचित ... अखिल भारतीय रामलीला मैदान में वहां की प्रमुखता से

...अंतरिम याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि अदालत कोई अंतरिम राहत देने की इच्छुक नहीं है। अदालत ने निर्वाचन आयोग, पनीरसेल्वम, पलानीस्वामी को शशिकला-टीटीवी दिनाकरण धड़े की याचिका पर नोटिस भी जारी किया। शशिकला धड़े ने अन्नाद्रमुक का दो पत्तों वाला चुनाव चिनि पनीरसेल्वम धड़े को आवंटित करने के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती दी है। अदालत ने कहा कि मुख्य याचिका पर 12 फरवरी को सुनवाई होगी।

पीडब्ल्यूडी के दो अधिकारी रिश्वत के आरोपों से बरी

नई दिल्ली (भाषा)। दिल्ली की एक अदालत ने लोक निर्माण विभाग के दो अधिकारियों को संदेह का लाभ देते हुए रिश्वत के आरोपों से बरी कर दिया और कहा कि अभियोजन पक्ष का साक्ष्य अविश्वसनीय है ।

केंद्रीय जांच ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश मनोज जैन ने आरोपियों को रिश्वत लेने के आरोपों से बरी कर दिया । ये दोनो आरोपी लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ और सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत हैं । इन दोनों पर कथित रूप से एक ठेकेदार से 70 हजार रुपए बतौर रिश्वत लेने का आरोप था । दक्षिण पश्चिम दिल्ली के तीन स्कूलों के रख रखाव तथा मरम्मत का काम ठेकेदार के पास था । इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से पेश किये गए साक्ष्य में विरोधाभास दिखता है और इससे अभियोजन की कहानी संदेहास्पद लगती है और जो इसे बहुत हद तक अविश्वसनीय और असत्य बनाती है । जज ने कहा, दोनों आरोपियों को मैं संदेह का लाभ देने के लिए मजबूर हूं । इसलिए इन दोनों को सभी आरोपों से बरी किया जाता है ।

अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आरोग्य 2017 शुरू

...ई दिल्ली (एसएनबी)। केंद्रीय ...ायुष मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग ...त्रालय और फार्मेक्सिल के सहयोग ... फिक्की की ओर से आयुष और ...रोगी जीवन पर पहले अंतरराष्ट्रीय ...म्मेलन आरोग्य 2017 का सोमवार ...ो विज्ञान भवन के सभागार में शुरू ...आ। इसमें दुनियाभर के करीब 1560 ... अधिक विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। ...ाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु एवं ...ायुष राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीपद ...सो नाइक ने संयुक्त रूप से इस ...म्मेलन की शुरुआत की।

यह चार दिवसीय सम्मेलन राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की पृष्ठभूमि में आयोजित किया जा रहा है जो एकीत स्वास्थ्य देखभाल की बहुलवादी प्रणाली के भीतर आयुष की क्षमता को मुख्य रूप से प्रेरित करता है। इसके तहत वैश्विक संदर्भ में पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की ताकत और वैज्ञानिक मान्यता को प्रदर्षित किया जा रहा है जिसमें आयुर्वेद, योग और प्रातिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा-रिग्पा और होमियोपैथी (आयुष) भी शामिल है।

हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड

Hero

पंजीकृत कार्यालय: 34, कम्युनिटी सेंटर, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली 110057
CIN: L35911DL1984PLC017354, फोन: 011-46044100, फैक्स: 011-26143321
ईमेल: secretarialho@heromotocorp.com, वेबसाइट: www.heromotocorp.com

डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सार्वजनिक सूचना

आम जनता के सदस्यों और हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड ('कंपनी') के मौजूदा शेयर धारकों को सूचित किया जाता है कि मूल शेयर प्रमाण पत्र (जिसका विवरण नीचे दिया गया है) चोरी हो गए हैं / नहीं मिले हैं / गुम हो गए हैं, ऐसी सूचना अनुसारी निंतित शेयरधारकों दावेदारों से प्राप्त हुई हैं। कंपनी उनके पक्ष में मूल शेयर प्रमाण पत्र के एवज में डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने का इरादा रखती है:

क्र. सं.	फोलियो नं.	शेयरधारकों का नाम	विशिष्ट सं. से	विशिष्ट सं. तक	प्रमाणपत्र संख्या	शेयरों की संख्या
शेयरों के अंकित मूल्य रु 10/- प्रत्येक						
1	HML0033946	रंजीत आर जतर	16092933	16092944	213299-213300	12
शेयरों के अंकित मूल्य रु 2/- प्रत्येक						
2	HML0071835	लक्ष्मीदास भाग्योदय (मृतक) हंसमुखलाल ठाकुर (मृतक)	46745731 165960506	46745980 165960875	512267 525547	250 370
3	HML0039488	हनुमानदास सरदा किशनदास सरदा	45167536	45167785	509058	250

किसी भी व्यक्ति को अगर कंपनी द्वारा डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने से आपत्ति है तो इस सूचना के प्रकाशन की तारिख से 15 दिनों के भीतर लिखित में कंपनी सचिवीय डिपार्टमेंट को प्रस्तुत करते हुए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर भेजें। इस बीच, जनता के सदस्यों को ऊपर उल्लेख शेयर प्रमाण पत्रों में निवेश करने के खिलाफ आगाह किया जाता है।

कृते हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड
हस्ता./-
नीरजा शर्मा
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 04.12.2017

सार्वजनिक सूचना

सम्पत्ति को गंदा करने वाले तथा अनधिकृत विज्ञापन हटायें अन्यथा कठोर दण्ड का सामना करें

सम्पत्ति को गंदा करना संज्ञेय अपराध है। इसे रोकने हेतु एतद्द्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि सभी संबंधित व्यक्ति इस विज्ञापन के प्रकाशित होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर सम्पत्ति को गंदा करने वाले तथा अनधिकृत विज्ञापनों को हटा लें अन्यथा ऐसा न करने वालों पर नगर निगम अधिनियम, भारतीय दण्ड संहिता तथा दिल्ली सम्पत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम, 2007 के अंतर्गत उचित कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी, जिसमें रु. 50,000/- तक के जुर्माने सहित एक वर्ष तक की जेल अथवा दोनों हो सकते हैं।

आयुक्त, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम — आयुक्त, उत्तरी दिल्ली नगर निगम — आयुक्त, पूर्वी दिल्ली नगर निगम

आर.ओ. नं. 186/डीपीआई/दक्षिणी/2017-18